(नियम 26)

2022/311

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री शिव रतन पुत्र श्री सांवरमल स्वामी

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 49 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार, के नाम से गणेश मन्दिर के पास झुन्झुनू में मिठाई की दुकान कर रखी है। जहां वह स्वयं पनीर तैयार करता है। अनावेदक ने पनीर में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। पनीर में फैट की कमी दूध में फैट कम होने के कारण आई है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1996/एक्ट/2022/1992 दिनांक 06.06.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार पर पनीर स्वयं तैयार करता है तथा दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री शिव रतन पुत्र श्री सांवरमल स्वामी मालिक मै0 बालाजी मिष्ठान [illegible] को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अन[illegible] [illegible]00/- पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित [illegible] उक्त [illegible] सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में ज[illegible] की एक प्रति इ[illegible] न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य [illegible] अधिकारी, कार्यालय मु[illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	शिवरतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:12 IST
Reason: SelfAttested